पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1163
दिनांक-18.05.2025

जोन-दक्षिणी/थाना-बिजनौर

- तिलक समारोह मे जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना बिजनौर द्वारा की गयी कार्यवाही।

01-संक्षिप्त विवरण –

थाना हाजा पर दिनांक 25.04.2025 को वादी श्री अमित यादव पुत्र स्व0 महेश यादव निवासी ग्राम चुन्नूखेड़ा मानक नगर थाना पारा लखनऊ की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 127/25 धारा 109 (1) बी.एन.एस बनाम 1.शत्रोहन सिंह यादव पुत्र स्व. हरीरामयादव निवासी ग्राम चुन्नू खेड़ा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष 2.बबलू पुत्र स्व. हरीराम यादव निवासीगण ग्राम चुन्नू खेड़ा मानक नगर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब-35 वर्ष एवं कुछ अन्य साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

जिसमे वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि विपक्षीगण ने पुरानी रंजिश की वजह से ग्राम अनूपखेडा थाना बिजनौर मे एक तिलक समारोह में अवैध असलहा से जान से मारने की नियत से एक राय होकर फायर किया था। जिससे वादी अमित यादव गम्भीर रुप से घायल हो गया था। जिसे ईलाज हेतु लोकबन्धु अस्पताल कृष्णानगर लखनऊ मे भर्ती कराया गया था।

मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण 1.शत्रोहन सिंह यादव पुत्र स्व. हरीरामयादव निवासी ग्राम चुन्नू खेड़ा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष 2.बबलू पुत्र स्व. हरीराम यादव निवासीगण ग्राम चुन्नू खेड़ा मानक नगर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब-35 वर्ष में से अभियुक्त शत्रोहन सिंह को दिनांक 26.04.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था, तथा दूसरा वांछित अभियुक्त बबलू फरार था। दिनांक 17.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बबलू पुत्र स्व. हरीराम यादव निवासीगण ग्राम चुन्नू खेड़ा मानक नगर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब-35 वर्ष को औरंगाबाद अण्डरपास निकट शहीद पथ से हिरासत पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार थाने पर लाकर दाखिल कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को आज दिनांक-18.05.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-बबलू पुत्र स्व. हरीराम यादव निवासीगण ग्राम चुन्नू खेड़ा मानक नगर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब-35 वर्ष।

03-अपराध का तरीका-

तिलक समारोह के दौरान वादी मुकदमा से जान से मारने की नियत से फायरिंग करना।

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 127/25 धारा 109 (1)/3(5) बी.एन. एस. व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ।

05-आपराधिक इतिहास-

1 मु0अ0सं0 129/2017 धारा 147/148/323/506 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ

2.मु0अ0सं0 588/2017 धारा 427/447/506 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ

3. मु0अ0सं0 200/2024 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/352 थाना आलमबाग लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री अभिराम शुक्ला, थाना बिजनौर लखनऊ

2- उ0नि0 श्री राजेश कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ

3- उ0नि0 विकास कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ

4- मुख्य आरक्षी राजीव कुमार यादव, थाना बिजनौर लखनऊ

5- मुख्य आरक्षी विनय प्रताप सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1164

दिनांक 18.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- बन्थरा

- **01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना बन्थरा पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण -

थाना बंथरा पुलिस द्वारा वारण्टियों के विरूद्ध अभियान चलाकर आज दिनांक 18.05.2025 को अभियुक्त/वारण्टी रवि पुत्र स्व डोरी लाल उर्फ डोरी दास निवासी ग्राम बंथरा थाना बंथरा जिला लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष सम्बन्धित केस सं0 182/18 अ0सं0 436/16 धारा 147/148/504/506 भादवि को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ लखनऊ के समक्ष पेश किये जाने हेतु भेजा गया।

02-सम्बन्धित वाद/अभियोग-

1. केस सं0 182/18 अ0सं0 436/16 धारा 147/148/504/506 भादवि

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1.रवि पुत्र स्व डोरी लाल उर्फ डोरी दास निवासी ग्राम बंथरा थाना बंथरा लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्याम जी मिश्रा थाना बंथरा लखनऊ।

02. उ0नि0 सहदेव कुमार थाना बंथरा लखनऊ।

03. हे0का0 राहुल कुमार सिंह थाना बंथरा लखनऊ।

04. म0का0 पल्लवी त्यागी थाना बंथरा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1156

दिनांक–18-05-2025

जोन पूर्वी/थाना चिनहट

- पुलिस ने मात्र 03 घंटे में किया हत्या की घटना का सफल अनावरण; नाबालिग पुत्री व प्रेमी हिरासत में।

01-कार्यवाही

चिनहट पुलिस और पूर्वी जोन सर्विलांस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0-235/25 धारा-103(1) बीएनएस** थाना चिनहट जनपद लखनऊ से संबन्धित एक जघन्य हत्या मामले का **मात्र 03 घंटे में सफल अनावरण** करते हुए मृतका उषा सिंह (40 वर्ष) की **नाबालिग पुत्री और उसके नाबालिग प्रेमी को** चिनहट कस्बा के पास से पुलिस संरक्षण में ले लिया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.2025 को थाना चिनहट, लखनऊ में वादी श्री रवि पुत्र स्व. पिताम्बर प्रसाद निवासी चिनहट निकट कोतवाली थाना चिनहट जनपद लखनऊ द्वारा वादी की बहन उषा सिंह पत्नी स्व. योगेन्द्र सिंह उम्र करीब 40 वर्ष की हत्या कर देने के संबन्ध में मु0अ0स0 235/25 धारा-103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, उच्चाधिकारियों द्वारा घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन और वैज्ञानिक जाँच की प्रक्रिया पूरी की गई।

डीसीपी पूर्वी लखनऊ के निर्देशन में घटना के अनावरण के लिए 04 विशेष टीमें गठित की गई। इन टीमों ने अत्याधुनिक तकनीक और सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए मात्र 03 घंटे के भीतर अपराध का सफल अनावरण किया। गठित टीमों **ने** मात्र **03 घंटे में ही दोनों अभियुक्तों को चिनहट कस्बे के पास से पकड़ा।**

जाँच में पाया गया कि मृतका की नाबालिग पुत्री और उसका नाबालिग प्रेमी इस हत्या में संलिप्त थे। दोनों अभियुक्तों को पुलिस संरक्षण में लेते हुए आवश्यक विधिक प्रक्रिया शुरू की गई।

03-पूछताछ का विवरण:-

नाबालिग पुत्री और उसके प्रेमी ने बताया कि हम दोनों पड़ोसी है तथा वे 2024 में घर से घर से बिना बताये भाग गए थे, जिसके बाद मृतका उषा सिंह ने मुकदमा अंकित संख्या 246/24 (धारा 363/366 BNS) दर्ज कराया था। प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

मृतका की नाबालिक पुत्री ने बताया कि प्रेमी ने जेल से छूटने के बाद लगातार उकसाया कि "तुम्हारी माँ ने हमें अलग किया और मुझे जेल भिजवाया। हमें उससे बदला लेना चाहिए। घटना की रात दोनों ने साथ मिलकर उषा सिंह की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा दोनों बाल अपराधियों को संरक्षण में लिया गया है।

04-संरक्षण में अभियुक्त:

1. नाबालिग पुत्री, उम्र 15 वर्ष (बाल अपराधी, नाम गोपनीय)।
2. नाबालिग प्रेमी उम्र 17 वर्ष (बाल अपराधी, नाम गोपनीय)।

05-अभियोग का विवरण:-

01-मु0अ0सं0- **235/25 (धारा 103(1) BNS):** हत्या।

02-मु0अ0सं0- **246/24 (धारा 363/366 BNS):** (पूर्व मामला) ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

06-अनावरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- **थाना चिनहट टीम:**
  - **प्रभारी निरीक्षक:** श्री दिनेश चंद्र मिश्र
  - उ0नि0 सुशील कुमार पासी, म0उ0नि0 सरिता यादव, म0उ0नि0राखी सिंह, उ0नि0 कपिल कुमार, म0का0आरती सिंह, का0रामपाल जयसवाल।
- **पूर्वी जोन सर्विलांस टीम:**
  - उ0नि0**: अमरनाथ चौरसिया**
  - हे0का0 संदीप पांडेय, हे0का0 सुमित कुमार, का0शिवानंद खरवार, का0 विमल चंद्र, का0 अजय यादव।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1165
दिनांक-18.05.2025

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

- **07 वर्षो से फरार चल रहे 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण -

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 320/01 धारा 363/34/364ए भादवि से सम्बन्धित वारंटी इकराम पुत्र मो0 फहीम नि0 491 एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड थाना कृष्णानगर लखनऊ के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा कई वर्षो से गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया जा रहा था, परन्तु अभी तक वारंटी न तो गिरफ्तार हुआ था न ही मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया, वारंटी उपरोक्त काफी शातिर व चालाक किस्म का व्यक्ति था जिसके द्वारा बार-बार पहचान व निवास स्थान बदल कर नये स्थान पर निवास किया जाता था। वारंटी उपरोक्त वर्ष 2018 से लगातार फरार चल रहा था, जिसके सम्बन्ध मे मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ मे क्रिमिनल अपील संख्या 1084/2025 आदिल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य याचिका दायर किया गया जिसमे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वारंटी इकराम उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, उक्त आदेश के अनुपालन मे श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना चौक द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए टीम के साथ अथक प्रयास से वारंटी इकराम उपरोक्त को दिनांक 18.05.2025 को मोहल्ला पटवारी दरगाह वाली मस्जिद के पास बिजनौर जनपद लखनऊ से समय 13.50 बजे गिरफ्तार किया गया। वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. वारंटी इकराम पुत्र मो0 फहीम नि0 491 एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष (मास्टर प्राइवेट स्कूल मे)

03-आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 320/01 धारा 363/34/364ए भादवि कोतवाली चौक लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

कोतवाली चौक टीम	साइबर सेल टीम लखनऊ
श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चौक	निरीक्षक श्री रत्नेश सिंह प्रभारी साइबर सेल
निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह कोतवाली चौक	का0 अमित तिवारी साइबर सेल कमिश्नरेट लखनऊ
उ0नि0 श्री पंकज कुमार कोतवाली चौक	
उ0नि0 श्री नारायन वर्मा कोतवाली चौक	
उ0नि0 श्री अमित बंसल कोतवाली चौक	
उ0नि0 श्री लवलेन्द्र कोतवाली चौक	
का0 बिपिन सिंह कोतवाली चौक	
म0का0 दीक्षा पटेल कोतवाली चौक	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1168
दिनांक-18.05.2025

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17/18.05.25 को थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा 1. एनबीडब्लू केस सं0 5501/08 धारा 323/325/504/506 भादवि0 थाना गाजीपुर ,लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त- तन्नू गौड़ पुत्र हनुमान गौड़ निवासी सी-1085/1 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 30 वर्ष, 2. एनबीडब्लू केस सं0 13307/21 मु0अ0सं0 332/2019 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त मतलूम अली पुत्र हबीब निवासी सी-460 लवकुशनगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 54 वर्ष, 3. एनबीडब्लू केस सं0 13307/21 मु0अ0सं0 332/2019 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त मुजीब अली पुत्र मतलूम अली निवासी सी-460 लवकुशनगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 27 वर्ष, 4. एनबीडब्लू केस सं0 13307/21 मु0अ0सं0 332/2019 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्ता सईदुन्निशा पत्नी मतलूब अली निवासी सी-460 लवकुशनगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 52 वर्ष, 5. एनबीडब्लू केस सं0 5215/13 धारा 138 एनआई एक्ट थाना तालकटोरा लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त- रजी अहमद पुत्र मुईन अहमद निवासी- 23/123 न्यू प्रकाश लोक विस्तार अपोजिट सिटी सेन्टर मैरिज हाल इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1. तन्नू गौड़ पुत्र हनुमान गौड़ निवासी सी-1085/1 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 30 वर्ष
2. मतलूम अली पुत्र हबीब निवासी सी-460 लवकुशनगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 54 वर्ष
3. मुजीब अली पुत्र मतलूम अली निवासी लवकुशनगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 27 वर्ष
4. सईदुन्निशा पत्नी मतलूब अली निवासी लवकुशनगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 52 वर्ष
5. रजी अहमद पुत्र मुईन अहमद निवासी- 23/123 न्यू प्रकाश लोक विस्तार अपोजिट सिटी सेन्टर मैरिज हाल इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ करीब उम्र 45 वर्ष

03-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 आनन्द कुमार
2. उ0नि0 अभिषेक शर्मा
3. उ0नि0 प्रवीण कुमार
4. म0उ0नि0 कीर्ति सिंह
5. म0उ0नि0 संगम यादव
6. का0 पिन्टू सरोज
7. का0 यतेन्द्र कुमार
8. का0 भुवन विक्रम चतुर्वेदी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1161

दिनांक-18.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना कृष्णानगर

- **01 नफर वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊमहोदय के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के अनुपालन में सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में **प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर** के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत 01 अदद गैर जमानतीय अधिपत्र वाद सं0- 3209/19 अ0सं0 146/18 धारा 135 ईसी एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारन्टी अभियुक्त **खिलावन पुत्र भुलाई निवासी 569/71 बरिगंवा थाना कृष्णानगर लखनऊ (उम्र 59 वर्ष),** को आज दिनांक 18.05.2025 समय करीब 11.30 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है। अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. खिलावन पुत्र भुलाई निवासी 569/71 बरिगंवा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र 59 वर्ष।

03-वाद संख्या/मु0अ0सं0 व धारा-

2. वाद सं0- 3209/19 अ0सं0 146/18 धारा 135 ईसी एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

04-गिरफ्तारी का स्थान एवं समय-

- दिनांक- 18.05.2025
- समय-11.30 बजे।
- स्थान- मकान नं0-569/71 बरिगंवा थाना कृष्णानगर लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

3. प्र0नि0 प्रद्युम्न कुमार सिंह, कोतवाली कृष्णानगर,कमि0 लखननऊ।
4. उ0नि0 श्री अभय प्रताप सिंह, कोतवाली कृष्णानगर, कमि0 लखनऊ।
5. का0-रोहित बालियान, कोतवाली कृष्णानगर, कमि0 लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1169
दिनांक-18.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **नाबालिग लड़के से यौन उत्पीड़न और मारपीट करने के 01 आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना मडियांव द्वारा की गयी कार्यवाही।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.05.2025 को वादी द्वारा बावत आरोपी मदरसा दारुल उलूम बड़ा खुदान नौबस्ता थाना मड़ियांव लखनऊ के उस्ताद कारी अब्दुल बारी द्वारा वादी के पुत्र उम्र करीब 14 वर्ष के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने तथा पूछने जाने पर आगंतुकगण के साथ आरोपी गौस मो0 व मो0 शुऐब और अन्य 08-10 अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट करने जिसमें वादी के पिता को अधिक चोट लगने के कारण ईलाज हेतु ट्रामा सेन्टर जानकीपुरम में जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 275/2025 धारा 75(2)/191(2)/115(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम 1. उस्ताद कारी अब्दुल बारी 2. गौस मो0 3. मो0 शुऐब और अन्य 8-10 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 18.05.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति एवं तलाश वांछित/वारण्टी में चौकी क्षेत्र नौबस्ता में मौजूद थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल बारी पुत्र नसीम अहमद चन्द्राढ़ाल के पास खड़ा है कहीं जाने की फिराक में है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को हिकमत अमली से पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ती से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अब्दुल बारी पुत्र नसीम अहमद निवासी हालपता – दोस्त मोहम्मद मदरसा बड़ा खुदान नौबस्ता थाना मडियांव लखनऊ मूल पता अदरी थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म व मु0अ0सं0 275/25 धारा 191(2)/115(2)/75(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट से अवगत कराते हुए हिरासत हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तगण की तलाश पतारसी सुरागरसी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देशयः-

अभियुक्त द्वारा आरोपी मदरसा दारुल उलूम बड़ा खुदान नौबस्ता थाना मड़ियांव लखनऊ के उस्ताद कारी अब्दुल बारी द्वारा वादी के पुत्र उम्र करीब 14 वर्ष के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने तथा वादी मुकदमा व उसके परिजनों द्वारा पूछे जाने पर उनके साथ आरोपी गौस मो0 व मो0 शुऐब और अन्य 08-10 अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट करना जिसमें वादी के पिता को अधिक चोट लगने के कारण ईलाज हेतु ट्रामा सेन्टर जानकीपुरम में भर्ती कराया जाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1.अब्दुल बारी पुत्र नसीम अहमद निवासी हालपता – दोस्त मोहम्मद मदरसा बड़ा खुदान नौबस्ता थाना मडियांव लखनऊ मूल पता अदरी थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष (व्यवसाय – पढाना)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
2. हे0का0 संदीप कनौजिया
3. का0 मंजेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-1160
दिनांक-18.05.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **एक नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार**
- **थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ की कार्यवाही ।**

01.संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त मो0 वसीर पुत्र हबीबुल्ला निवासी 525क/23ख पुराना महानगर लखनऊ उम्र लगभग 51 वर्ष जो काफी दिनो से फरार चल रहा था और मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर समय से उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त मो0 वसीर उपरोक्त के विरूद्ध वाद सं0-163/12, अ0सं0-304/11 धारा 427/447 भा0द0वि0 थाना महानगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था।

अभियुक्त मो0 वसीर उपरोक्त को थाना महानगर को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

(1). मो0 वसीर पुत्र हबीबुल्ला निवासी 525क/23ख पुराना महानगर लखनऊ उम्र लगभग 51 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग

(1) वाद सं0-163/12, अ0सं0-304/11 धारा 427/447 भा0द0वि0 थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 महेश कुमार शुक्ला थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 राजबरन यादव थाना महानगर लखनऊ
3. का0 वितेश यादव थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1159
दिनांक-18.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- **कार में लिफ्ट देकर सुनसान स्थान पर ले जाकर मार पीट कर लूट करने वाले 02 वांछित इनामिया अभियुक्तों (₹25,000 इनामी प्रत्येक) को गिरफ्तार किया गया।**
- **दिनांक 05/04/2025 को समय करीब 22.15 बजे सेवाकट के पास खड़े व्यक्ति को कार में लिफ्ट देकर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर की गयी थी लूट**
- **घटना कारित करने वाले अभियुक्तों में से 02 शातिर अभियुक्तों को पूर्व में लूट के रुपयों के साथ घटना में प्रयुक्त कार को बरामद करते हुये गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल।**
- **अभियुक्त घटना के बाद लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे।**
- **थाना सैरपुर पुलिस की सफलता।**

01-कार्यवाहीः

आज दिनांक 18/05/2025 को थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा मार पीट कर लूट की घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण की तलाश पतारसी सुरागरसी में मामूर थी कि मुखबिरखास की सूचना पर लोधमऊ अण्डर पास किसान पथ से मार पीट कर लूट घटना में शामिल वांछित अभियुक्तों 01. अमन यादव पुत्र स्व0 रामलखन उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम भगमतखेड़ा बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ व 02. सुजीत यादव पुत्र स्व0 रामलखन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम भगमतखेड़ा बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ को पुलिस हिरासत में लिया गया।

उपरोक्त इनामिया अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय लगभग 04.30 बजे जुर्म धारा से अवगत कराते हुये पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही को पूर्ण कर इनामिया अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

02-सक्षिप्त विवरणः

दिनांक 07.04.2025 को वादी मुकदमा श्री अनुज कुमार पुत्र राम नरेश नि० बिजुवामऊ थाना सिधौली जनपद सीतापुर द्वारा उपस्थित थाना आकर सूचना दी गयी की मैं दिनाँक 05/04/2025 समय लगभग 22.15 बजे सेवा कट के पास अपने घर जाने के लिए वाहन के इंतजार में खड़ा था।

काफी देर तक कोई वाहन न आने पर आ रही कार SWIFT DZIRE रजि० नं0 UP32PN233 रंग सफेद को लिफ्ट लेने हेतु मेरे द्वारा ईशारा किया गया कार सवार व्यक्तियों द्वारा मुझे कार में लिफ्ट देकर कार का दरवाजा लॉक कर किसान पथ से काकोरी से पहले ले जाकर मेरे साथ गाली गलौज करते हुये मार पीट कर मौजूद रुपये 250-300 व मल्टीमीडिया मोबाइल फोन छीन लेने एंव गूगल पे का पिन पूछ कर आंन लाइन रुपय़ा 6000/- ट्रासफर कराकर वादी को कार से ढ़केल कर भाग जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया।

वादी मुकदमा के द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2025 धारा 309(6)/127(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 बनाम कार वाहन संख्या UP 32 PN 2336 पर सवार 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण व लूट के सामान व घटना में प्रयुक्त कार की तलाश की जी रही थी।

सीसीटीबी फुटेज के अवलोकन , वाहन स्वामी के बयान व अन्य साक्ष्य संकलनों से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण (1) अयान पुत्र गफूर निवासी बसरैला थाना काकोरी जिला लखन (2) रवि शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर हालपता सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ (3) अमन यादव (4) सुजीत यादव पुत्रगण रामलखन यादव निवासीगण ग्राम भगमतखेड़ा बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ (5) हिमांशु शुक्ला पुत्र रोहित शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जिला सीतापुर का नाम प्रकाश में आये।

03-पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- **दिनाँक 09/04/2025 गिरफ्तार**

  01.अयान पुत्र गफूर निवासी बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ

  02. रवि शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर हालपता सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ

- **दिनाँक 09/04/2025 गिरफ्तार**

  03-हिमांशु शुक्ला पुत्र रोहित शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जिला सीतापुर

04-अपराध का उद्देश्यः-

सवारी वाहन का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को लिफ्ट देकर सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट कर लूटपाट कर धन लाभ प्राप्त करना

05-गिरफ्तार अभियुक्त0गण का विवरण—

01-अमन यादव पुत्र स्व0 रामलखन उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम भगमतखेड़ा बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ व्यवसाय-ड्राइवरी

02-सुजीत यादव पुत्र स्व0 रामलखन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम भगमतखेड़ा बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ व्यवसाय – ड्राइवरी

06.अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

अमन यादव पुत्र स्व0 रामलखन उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम भगमतखेड़ा बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ

01- मु0अ0सं0 297/2024 धारा 379 भादवि थाना पारा जनपद लखनऊ

07. अनावरित अभियोग -

01-मु0अ0सं0 37/25 धारा धारा 310,127(2),352,351(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सैरपुर, लखनऊ

08-पुलिस टीम थाना सैरपुर लखनऊ

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार कोरी
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार गुप्ता
3. उ0नि0 श्री मोनू कुमार
4. उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह
5. उ0नि0 श्री संदीप कुमार मिश्रा
6. हे0का0चा0 फिरासत अली
7. का0 विकास कुमार सरोज
8. का0 प्रवेन्द्र कुमार

04-अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा तार टूट जाने जैसी मामूली बात पर अपने परिवार वालों व अन्य के साथ मिलकर वादी के साथ झगडा करते हुए वादी के चाचा के सिर पर गम्भीर चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया गया। जिसकी दौराने इलाज दिनांक 15.05.2025 को मृत्यु हो गयी।

05- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 525/2019 धारा 323/504 भादवि0 थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1162

दिनांक 18.05.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- **तार टूटने को लेकर विवाद में घायल व्यक्ति की चार दिन बाद दौराने इलाज मौत, आरोपी शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.05.2025 को वादी मुकदमा श्री दीपक कुमार पुत्र स्व0 अशोक कुमार नि0 ग्राम गहरू थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाने पर आकर तहरीर दी कि दिनांक 11.05.2025 को डाले से तार टूट जाने के कारण गांव के ही रहने वाले राकेश, आजाद, प्रेम व 3-4 अन्य लोगों के द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली गलौज करने तथा विरोध करने पर वादी के चाचा गोपाल पुत्र स्व0 कामता के सिर में किसी भारी चीज से मार दिया जिससे वे बेहोश होकर गिर पडे तथा सिर से बहुत खून बह रहा था। जिनका इलाज लोकबन्धु अस्पताल में चल रहा है । तथा उक्त लोगों के विक्रम का शीशा तोडकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 167/25 धारा 191(2)/333/115(2)/352/351(2)/324(2)/110 बीएनएस बनाम राकेश आदि 04 नफर व अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 श्री अंकित बालियान को सुपुर्द की गयी।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही व अभियुक्तगणों की तलाश की जा रही थी कि इसी बीच दिनांक 15.05.2025 प्रसाद हास्पिटल बन्थरा में इलाज के दौरान ही घायल/मजरूब गोपाल पुत्र स्व0 कामता उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात मृतक उपरोक्त का पंचायतनामा आदि कार्यवाही पूर्ण कराकर मृतक का अन्तिम संस्कार कराया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 110 बीएनएस को धारा 105 बीएनएस में तरमीम किया गया तथा धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा आज दिनांक 17.05.2025 मुखबिर खास की सूचना पर नामित एवं वांछित अभियुक्त 1. ब्रजेश पुत्र स्व0 राम आसरे निवासी गहरू थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष को किसानपथ रिंग रोड के पास से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1. ब्रजेश कुमार पुत्र स्व0 रामआसरे नि0 ग्राम गहरू थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष।

03- पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 167/2025 धारा 191(2)/333/115(2)/352/351(2)/324(2)/105/3(5) बीएनएस थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1166
दिनांक-18.05.2025

----यातायात पुलिस----

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.05.2025 को समय प्रातः 15:00 बजे से मैच समाप्ति तक इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच के दृष्टिगत बड़े वाहन/ बस /कामर्शियल वाहन सामान्य यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगी-

1. कमता शहीद पथ तिराहा अयोध्या रोड से सामान्य यातायात कमता तिराहे से शहीद पथ होकर सुल्तानपुर रोड/रायबरेली रोड/कानपुर रोड की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन कमता तिराहा/इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा/समतामूलक चौराहा/लालबत्ती चौराहा/करियप्पा चौराहा/तेलीबाग चौराहा/बाराबिरवा चौराहा अथवा इन्दिरानहर चौराहा से होते हुये किसान पथ होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगें।
2. शहीद पथ कानपुर रोड तिराहा से सामान्य यातायात शहीद पथ होकर सुल्तानपुर रोड/रायबरेली रोड/अयोध्या रोड की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन बाराबिरवा चौराहा/बंगलाबाजार चौराहा/तेलीबाग चौराहा/करियप्पा चौराहा/लालबत्ती चौराहा/1090 चौराहा अथवा दरोगाखेड़ा किसान पथ होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगें।
3. गोसाईगंज कस्बा तिराहा सुल्तानपुर रोड से बड़े वाहन/बस/कामर्शियल वाहन गोसाईगंज कस्बा तिराहा अथवा अमूल डेरी कटिंग से अहिमामऊ की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन अमूल डेरी कटिंग से बांये वृन्दावन योजना अथवा कबीरपुर किसान पथ होते हुये अपने गन्तव्य को जा सकेगें।
4. उतरेठिया अण्डरपास चौराहा रायबरेली रोड/कैंण्ट रोड से बड़े वाहन/बस/कामर्शियल वाहन उतरेठिया अण्डरपास चौराहा से शहीद पथ पर चढ़कर अहिमामऊ चौराहा/कमता तिराहा अयोध्या रोड की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन तेलीबाग चौराहा/बाराबिरवा चौराहा/करियप्पा चौराहा अथवा हरीकंशगढ़ी किसान पथ होते हुये अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
5. हुसड़िया अण्डरपास चौराहा की तरफ से सामान्य यातायात अहिमामऊ चौराहा/शहीद पथ कानपुर रोड तिराहा की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन शहर क्षेत्र से होकर 1090 चौराहा होते हुये अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
6. लालबत्ती चौराहा की तरफ से बड़े वाहन/बस /कामर्शियल वाहन अहिमामऊ चौराहा/सुल्तानपुर रोड/रायबरेली रोड /कानपुर रोड की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन लालबत्ती चौराहा से करियप्पा चौराहा, तेलीबाग अथवा बंगलाबाजार चौराहा, बाराबिरवा चौराहा होते हुये अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

7. सुल्तानपुर रोड की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात अमूल तिराहा से अहिमामऊ चौराहा की तरफ प्रतिबन्धित रहेगा, बल्कि यह वाहन अमूल तिराहे से ही डायवर्ट किया जायेगा जो लूलू मॉल कटिंग से शहीद पथ पर चढ़कर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

8. सुल्तापुर रोड से पुलिस मुख्यालय की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात एचसीएल तिराहे से प्लासियो तिराहे से पुलिस मुख्यालय की तरफ प्रतिबन्धित रहेगा, बल्कि यह वाहन अहिमामऊ चौराहे से दाहिनी तरफ टर्न लेकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

9. कमता शहीद पथ तिराहा से कानपुर की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात अहिमामऊ रैम्प से नही उतर सकेगा, बल्कि यह वाहन शहीद पथ पर सीधा जा सकेंगे।

10. कमता शहीद पथ तिराहा से अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न लेकर कैण्ट/पुलिस मुख्यालय/गोमतीनगर जाने वाले सामान्य यातायात प्रतिबन्धित रहेगा, बल्कि यह वाहन शहीद पथ पर सीधा जाकर मेदान्ता हास्पिटल से यू-टर्न लेकर जायेगा। (यह वाहन शहीद पथ पर अहिमामऊ चौराहे पर समय 14.00 बजे से रात्रि में मैच समाप्ति तक यू-टर्न प्रतिबन्धित रहेगा एवं अहिमामऊ रैम्प से उतरकर मात्र बांयी ओर जाना ही अनुमन्य होगा।

11. अहिमामऊ से प्लासियो की तरफ यातायात पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा, बल्कि यह वाहन अहिमामऊ चौराहा से एचसीएल तिराहा से संस्कृत तिराहा से ओवरहेड गोल चक्कर चौराहा होते हुये अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

12. सुल्तानपुर आदि मार्ग से आने वाली व जाने वाली बड़े वाहन/बस/कामर्शियल वाहन सुल्तानपुर रोड से अहिमामऊ अथवा अहिमामऊ से सुल्तानपुर रोड की तरफ प्रतिबन्धित रहेगा, बल्कि यह वाहन कबीरपुर तिराहे से किसानपथ होते हुये अपने गन्तव्य को आ-जा सकेगा।

13. मैच के कारण शहीदपथ पर 1400 से 2100 के मध्य वाहनों का दवाब रहनें की सम्भावना है अतः दर्शकों के अतरिक्त कानपुर नगर, एक्सप्रेस-वे, बाराबिरवा, अमौसी की ओर जानें वाले समस्त वाहन चालक असुविधा से बचनें के लिये कृपया शहीदपथ का प्रयोग करनें से बचें तथा वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।

14. इकाना स्टेडियम के पार्किंग में जानें वाले बड़े वाहन/बस/कामर्शियल वाहन को अहिमामऊ चौराहा से होकर जाना पड़ेगा तथा इकाना स्टेडियम के आवागमन के लिये यातायात दवाब से बचनें के लिये शहीदपथ के स्थान पर अर्जुनगंज/कैंट मार्ग का भी प्रयोग कर सकते है।

नोट-दिनांक 19.05.2025 को रात्रि में भारी/बड़े वाहनों का डायवर्जन/ नो-इण्ट्री का समय रात्रि 11.00 बजे से न होकर उक्त क्रिकेट मैच की समाप्ति के उपरान्त यातायात सामान्य होने तक रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

यातायात पुलिस लखनऊ।